

09.06.2025:-पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। प्रार्थी द्वारा अपना मूल वादपत्र विद्धा कर लिया गया है। मूल वाद पत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। इसलिए अस्थाई निशेषाज्ञा को वर्तमान स्तर पर निरस्त खारिज किया जाकर उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

